रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938
No. 201] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

सा.का.नि. 257(अ).—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसमें उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव-सह-महानिदेशक (श्रम कल्याण), भारत सरकार, जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जा सकते हैं ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय संशोधन नियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 69 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"69. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चेक द्वारा या कर्मकार के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके संदत्त की जाएंगी :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसका नियोजक ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को मजदूरी का संदाय, केवल चेक द्वारा करेगा या उसके बैंक खाते में जमा करके, करेगा ।"

[फा. सं. एस-16011/12/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

टिप्पण : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 191, तारीख 10 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा. का. नि. 154(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

G.S.R. 257(E).—The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules,1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary to the Government of India-cum-Director General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, for rule 69, the following rule shall be substituted, namely:—

"69. All wages shall be paid in current coin or currency notes or by cheque or by crediting the wages in the bank account of the workman:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify the establishment or class of establishments, the employer of which shall pay to every workman employed in such establishment or class of establishments, the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank account."

[F. No. S-16011/12/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Director-General (Labour Welfare)/Jt. Secy.

Note : The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February,1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 154(E), dated the 21st February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.18 13:49:29 +05'30'